

न्यायालय उप तहसीलदार, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

करण संख्या 40/2024

निर्णय दिनांक 30/8/24

सरकार जंरिये

बनाम

श्री. लाली बाई पाठो दीला हावड

पटवार हल्का 30/वि-432

वि 0 बावत हावड

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट. 1956

### निर्णय

पत्रावली आज मुकाम 30/वि-432 पर पेश हुई। संक्षिप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का 30/वि-432 ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि श्री. लाली बाई पाठो दीला हावड ने तहसील बेगूँ के ग्राम बावत हावड में स्थित आराजी नम्बर 249 रकबा 0.24 किस्म 0/HS पर दोराने सम्बत् 2081 खरीफ में अनाधीकृत रूप से भूमि को फराम बावत अतिक्रमण किया है।


उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91(3) एवं धारा 91(6) एल.आर.एक्ट में जारी किया जो विधिवत रूप से तामील करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य में अतिक्रमित क्षेत्र अतिक्रमी के नाम नियमन योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अतिक्रमी को ग्राम बावत हावड में स्थित खसरा नम्बर 249 रकबा 0.24 किस्म 0/HS भूमि से बेदखली का निर्णय पारित किया जाता है। जुर्माना लगान 2000 रु. का 50 गुणा राशि 1000/- रुपये आरोपित किये जाते हैं। जो वसूल हो।

निर्णय बमुकाम लिखाया जाकर सुनाया गया।

पालनार्थ पटवारी एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।



मांग कायमी 91 में 100 फ.नी 1440  
योग 1540 वर्ष 2024 के रा.ले. पंजिका 04  
में पेज संख्या पर की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार  
बेगूँ

